AV/3

24.06.2017 पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत आयोजित न्यायालय में आयोजित विशेष कैम्प में ली गई उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 पर बहस सुनी गई दौरानें बहस प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में जिस भूमि का कथन किया गया है उसके सम्बंध में ना तो कोई खाता संख्या संख्या दर्ज की है। तथा कौन कौन सी भूमि वादी एवम् प्रतिवादी के नाम से दर्ज है ना ही यह कथन किया गया कि भूमि वादी एवम् प्रतिवादी दोनों के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है। इस प्रकार जब तक भूमि मुश्तर्का खाता में दर्ज होना वाद से स्पष्ट परिलक्षित ना हो तब तक विभाजन का कानूनन नहीं लाया जा सकता है। तथा वादी नें वाद पत्र के किसी मद में भूमि मुश्तर्का खाता में दर्ज होनें का कथन नहीं किया गया है।

वादी ने अपनें वाद पत्र में भूमि का बेचान होनें का भी जिक्र किया है परन्तु क्रेताओं को पक्षकार नहीं बनाया गया है। भूमि केवलमात्र रजिस्टर्ड बैयनामा होनें की दशा मूं जब तक उसको सिविल न्यायालय में मनसूख नहीं करवाया जावे कानूनन राजस्व अदालत में किसी प्रकार की घोषणा अथवा विभाजन का वाद नहीं लाया जा सकता है। क्योंकि राजस्व अदालत को किसी रजिस्टर्ड बैयनामा के सम्बंध में सुनवाई करनें तथा उसको निरस्त करनें का अधिकार ना होनें से वाद जाहिरा तौर से विधि द्वारा वर्जित होनें के कारण भी इसी स्टेज पर खारिज करनें योग्य है।

वादी के अधिवक्ता द्वारा दौरानें बहस कथन किया गया कि कुल कृषि भूमि की जमाबन्दी इस दावा में पेश है जिसमें कुल भूमि का विवरण किलावाईज अलग है। वादी व प्रतिवादी की ईकक्ठी कृषि भूमि चक गणेशगढ़ सैकण्ड तहसील श्रीगंगानगर में 23.07 बीघा चक 21 पी.एस.एम. तहसील सादुलशहर में 12.10 बीघा एवम् चक 8 टी.के.डब्ल्यू. तहसील सादुलशहर में 10.04 बीघा नहरी कृषि भूमि यानि कुल 46.01 बीघा हम दोनो भाईयों यानि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की बहिस्सा बराबर बराबर है। मगर प्रतिवादी नें करीब 1.00 बीघा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रकरण सं0.....अनवान.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

Continuation Note Sheet

भूमि अधिक हथिया रखी है। इसलिये विधि अनुसार खाता तकसीम मय लगान यह दावा पेश किया गया है। जिसके अलावा और कोई विकल्प वादी के पास नहीं है।

अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि वादी द्वारा अपनें वाद पत्र के समर्थन में जो जमाबन्दी पेश की गई है उसके अनुसार भूमि एकल खाते की है संयुक्त खाते की भूमि न होनें के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाकर वाद वादी वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर